


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(4) आप्रसआ/सामान्य/2017/8424-44 दिनांक 01-08-2017 के द्वारा राज्य के पाली, सिरोही, जालौर एवं बाड़मेर के 1290 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयनुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों को कृषकों द्वारा दिए गए विकल्प अनुरूप मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर इस संबंध में निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:-अधिसूचना की प्रति

भवदीय,

(हिमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
सहकारिता विभाग,
राज0 जयपुर।

एफ 1(4)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2017/8446
जयपुर, दिनांक 01/08/2017

प्रतिलिपि:-पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।


उप शासन सचिव